

भूखण्ड में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

भंगुराम पुत्र भूराम जाट बनाम 1. भूराम पुत्र रावतराम जाट
जाट निवासी नेजाना ग्राम निवासी नेजाना

दावा बाबत :- 88 RTI Act

मुकदमा नम्बर :- 232/21

निर्णय दिनांक :- 16.12.21

वादी की ओर से वकील भुज्जीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील इन्द्रावती की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

भुगविठ राजीनामा तैरी भाजा 5 NTR के खाला म० 140/122 के मु० न० 90, 91 ग्री कुत 3.289 हे० व चड 7 NTR के खाला म० 59/52 के मु० न० 18, 25 ग्री कुत 3.923 हे० व चड 4 BRW के खाला म० 75/68 के मु० न० 50, 51, 60, 61 ग्री कुत 7.590 हे० में प्रतिवादी सं० भूराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है में प्रतिवादी भूराम ग्री वजार वारीगण भंगुराम, मल्पनारापण पि० भूराम ल्या प्रति० म०। भूराम जो व हिस्सा वरावर के अमुत्तार खालेदार अरुम्मार धोखिर किये जाते है, अंडि प्रति० म० 2 ग्रा प ने अपना वड हिस्सा वारीगण व प्रति० म० के पत्र में ल्या अरु इत्य अरु लिपि है समलिपि ल्या किये हिस्से पर निष्माउत्तार पंजीपन शुल्क व इति भूमि वेड रदन है हो रदन मुक्त होने पर निष्माउत्तार / ~~अमुत्तार~~ अमुत्तार राजस्व रिजॉर्ड में अंडन अरु रिजॉर्ड उकतर करे। (राजीनामा जो गीरी अ भाग पन जावे)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़